प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्रवणसिंह पुत्र ज्ञानसिंह इन्द्रा 27 हरीसिंह नगर जात हरि होटल के पीछे भैरूजी का चौराहा जोधपुर		राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार जालोर
प्रकरण अपील		01/2020
कम्प्यूटर आई.डी		2020/00002

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

06.01.2020	अपीलांट ने यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भेजते हुये जवाब प्राप्त किया जावे व जवाब की प्रति अपीलांट को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजने हेतु लिखा जावे। पत्रावली 14.01.2020 को जवाब/बहस हेतु पेश हो। Sd प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर
14.01.2020	अपीलांट अनुपस्थित/सहायक लोक सूचना अधिकारी उपस्थित। सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)जालोर का जवाब पत्रांक/लेखा/आर. टी.आई./2020/17 दिनांक 14.01.2020 के जरिये प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)जालोर द्वारा जवाब में व्यक्त किया गया है, कि अपीलांट के सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के कम में आवेदित सूचना पत्रांक/10-11 दिनांक 10.01.2020 के जरिये अपीलांट को उपलब्ध करवाने हेतु भिजवायी जा चुकी है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्यालय में उपलब्ध सूचना ही उपलब्ध करवाई जाती है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमावे। सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जालोर) के द्वारा प्रस्तुत जवाब व कथन पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में तहसीलदार जालोर द्वारा कार्यालय में उपलब्ध सूचना अपीलांट को जरिए पत्रांक/10-11 दिनांक 10.01.2020 के भिजवाया जाना पाया गया है।लेकिन सूचना विलम्ब से भिजवायी जाने के संबंध में रेस्पोडेन्ट को यह निर्देश दिये जाते है, कि भविष्य में इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे, कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रो का परिक्षण कर सूचना का अधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानो अनुसार निर्धारित समयावधि में निस्तारण किया जावे। ताकि उक्त अधिनियम के तहत आवेदक को समय पर सूचना मिल सके। उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट को सूचना भिजवायी जाने के आधार पर अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है, कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। Sd प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर